



(viii) हस्तांतरणीयता:

ये बांड हस्तांतरणीय नहीं हैं।

ये बांड गौण बाजार में व्यापार योग्य नहीं होंगे और बैंकिंग संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों या वित्तीय संस्थाओं से संपादित ऋण लेने के पात्र नहीं होंगे।

(ix) नामांकन:

बांड का एकल धारक या एकल जीवित धारक, व्यहष्टि होने के नाते नामांकन कर सकता है।

स्कीम का पूर्ण ब्यौरा दिनांक 03 जनवरी 2018 राजपत्र अधिसूचना में उपलब्ध है।

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

बजट प्रभाग

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

दिनांक 03 जनवरी, 2018